रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, अक्तूबर 28—नवम्बर 3, 2018, शनिवार/कार्तिक 6—कार्तिक 12, 1940

No. 26] NEW DELHI, OCTOBER 28—NOVEMBER 3, 2018, SATURDAY/ KARTIKA 6— KARTIKA 12, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

का.नि.आ. 98.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' कार्यालय अधीक्षक (गैर तकनीकी) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' कार्यालय अधीक्षक (गैर-तकनीकी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' कार्यालय अधीक्षक (गैर तकनीकी) भर्ती नियम, 2012 में, :-

(अ) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 6 (Rs. 35400 to Rs. 112400)”;

(b) in column (12),-

(i) for the words, letters and figures “Pay Band-1 of Rs 5200-20200 and grade pay Rs 2400”, the words, brackets, letters and figures “Level 4 (Rs. 25500 to Rs. 81100) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(ii) “Note 2” shall be omitted.

[F. No. A/86320/RR/OS/DGQA/Adm-10/674/D(QA) /2018]

R. RAJENDAR GOUD, Under Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number SRO 01 dated the 11 Jan 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated 14 Jan, 2012.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.नि.आ. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह “ग” (नक्शानवीस) पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय समूह “ग” (नक्शानवीस) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह “ग” (नक्शानवीस) पद भर्ती नियम, 2010 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”

3. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह “ग” (नक्शानवीस) पद भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,—

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 4 (25500 से 81100 रु.)”

[फा. सं. ए/86320/आर आर /ड्राफ्टमैन/डी जी क्यू ए/प्रशासन 10/729/डी (क्यू ए) 2018]

आर. राजेन्दर गौड़, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 1 मई, 2010 में अधिसूचना संख्या का नि.आ 17 तारीख 27 अप्रैल 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए।

New Delhi, the 25th July, 2018

S.R.O. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Draughtsman) post Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Draughtsman) post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 2 of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Draughtsman)post Recruitment Rules, 2010, the following rule shall be substituted, namely :—

"2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules" .

3. In the Schedule to the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Draughtsman) post Recruitment Rules, 2010, —

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely, —

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 4 (Rs. 25500 to Rs. 81100)".

[F. No. A/86320/RR/Draughtsman/DGQA/Adm-10/729 /D(QA)/2018]

R. RAJENDAR GOUD, Under Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number S.R.O. 17 dated the 27 Apr 2010 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated 01 May, 2010.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.नि.आ. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' पद (फोटोग्राफिक कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (फोटोग्राफिक कर्मचारीवृन्द) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (फोटोग्राफिक कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2012 में, —

(1) नियम 2 में "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, वेतन मैट्रिक्स में स्तर शब्द रखे जाएंगे

(2) अनुसूची में, —

(क) फोटोग्राफर श्रेणी-1 पद के सामने, —

(i) स्तम्भ (4) में,—

(अ) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"